



THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 1004

15 Kartik, 1940(S)

Ranchi, Tuesday, 6th November, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

6th November, 2018

Notification No. 56/2018 – State Tax

S.O. No. 80. Dated 6th November, 2018 - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), hereinafter referred to as the “said Act”, the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council and in supersession of the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, of S.O. No. 84, State Tax, dated the 5th October, 2017 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby specifies the categories of casual taxable persons (hereinafter referred to as ‘such persons’) who shall be exempted from obtaining registration under the said Act-

- (i) such persons making inter-State taxable supplies of handicraft goods as defined in the “*Explanation*” in notification No. 21/2018 -State Tax (Rate), dated the 17th August, 2018, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 57, dated the 17th August, 2018 and falling under the Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item specified in column (2) of the Table contained in the said notification and the Description specified in the corresponding entry in column (3) of the Table contained in the said notification;
or
- (ii) such persons making inter-State taxable supplies of the products mentioned in column (2) of the Table below and the Harmonised System of Nomenclature (HSN) code mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, when made by the craftsmen predominantly by hand even though some machinery may also be used in the process:-

Table

Sl. No.	Products	HSN Code
(1)	(2)	(3)
1.	Leather articles (including bags, purses, saddlery, harness, garments)	4201, 4202, 4203
2.	Carved wood products (including boxes, inlay work, cases, casks)	4415, 4416
3.	Carved wood products (including table and kitchenware)	4419
4.	Carved wood products	4420
5.	Wood turning and lacquer ware	4421
6.	Bamboo products [decorative and utility items]	46
7.	Grass, leaf and reed and fibre products, mats, pouches, wallets	4601, 4602
8.	Paper mache articles	4823
9.	Textile (handloom products)	including 50, 58, 62, 63
10.	Textiles hand printing	50, 52, 54
11.	Zari thread	5605
12.	Carpet, rugs and durries	57
13.	Textiles hand embroidery	58
14.	Theatre costumes	61, 62, 63
15.	Coir products (including mats, mattresses)	5705, 9404
16.	Leather footwear	6403, 6405
17.	Carved stone products (including statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand)	6802
18.	Stones inlay work	68
19.	Pottery and clay products, including terracotta	6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914
20.	Metal table and kitchen ware (copper, brass ware)	7418
21.	Metal statues, images/statues vases, urns and crosses of the type used for decoration of metals of Chapters 73 and 74	8306
22.	Metal bidriware	8306
23.	Musical instruments	92
24.	Horn and bone products	96
25.	Conch shell crafts	96
26.	Bamboo furniture, cane/Rattan furniture	94
27.	Dolls and toys	9503
28.	Folk paintings, madhubani, patchitra, Rajasthani miniature	97

Provided that such persons are availing the benefit of notification No. 03/2018 – Integrated Tax, dated the 22nd October, 2018, published in the Gazette of India,

Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1052(E), dated the 22nd October, 2018:

Provided further that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, does not exceed the amount of aggregate turnover above which a supplier is liable to be registered in the State or Union territory in accordance with sub-section (1) of section 22 of the said Act, read with clause (iii) of the Explanation to that section.

2. Such persons mentioned in the preceding paragraph shall obtain a Permanent Account Number and generate an e-way bill in accordance with the provisions of rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.
3. This notification shall be deemed to be effective from 23th October, 2018.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,
Additional Chief Secretary.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

6 नवम्बर 2018

अधिसूचना सं०. 56/2018- राज्य कर

एस० ओ० सं० 80. दिनांक 6 नवम्बर, 2018-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है, की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और परिषद् की सिफारिशों पर झारखण्ड सरकार, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना एस. ओ. सं. 84, राज्य कर, तारीख 5 अक्टूबर, 2017, जो झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, नैमित्तिक कराधेय व्यक्तियों के प्रवर्गों को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ऐसे व्यक्ति' कहा गया है) विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट होगी—

- (i) ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे हस्तशिल्प माल का अन्तरराज्यिक कराधेय प्रदाय कर रहे हैं, अधिसूचना सं. 21/2018- राज्य कर (दर), तारीख 17 अगस्त, 2018, जो झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, एस. ओ. सं. 57, तारीख 17

अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के "स्पष्टीकरण"में परिभाषित है और अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद के अधीन आते हैं और जिनका विवरण उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (3) में कि तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है;या

- (ii) ऐसे व्यक्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित और उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित नाम पद्धति (एचएसएन) कूट की सुमेलित पद्धति के उत्पादों की अंतर्राज्यिक कराधेय प्रदाय कर रहे हैं के, जब शिल्पकारों द्वारा उत्पाद का प्रमुख रूप से निर्माण हाथ द्वारा किया जाए, तथापि इस प्रक्रिया में कुछ मशीनों का भी उपयोग किया जा सकेगा :-

सारणी

क्र.सं.	उत्पाद	एचएसएन कोड
(1)	(2)	(3)
1	चमड़े की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत थैला, पर्स, जीनसाजी, साज, वस्त्र भी हैं)	4201, 4202, 4203
2	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत सन्दूक, जड़ाऊ कार्य, डिब्बे, पीपा भी हैं)	4415, 4416
3	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत टेबल और रसोई बर्तन भी हैं)	4419
4	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद	4420
5	काष्ठ के घुमावदार और रलाक्षबर्तन	4421
6	बांस उत्पाद (सजावटी और उपयोगी वस्तुएं)	46
7	तृण, पत्तियां और सरकंडा तथा फाइबर उत्पाद, चटाई, थैलियां, पेटियां	4601, 4602
8	कागज मेश की वस्तुएं	4823
9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद)	जिनके अंतर्गत 50, 58, 62, 63 भी हैं
10	टैक्सटाइल हस्तमुद्रण	50, 52, 54
11	जरी धागा	5605
12	कालीन, रग और दरी	57
13	टैक्सटाइल, हस्त कशीदाकारी	58
14	थिएटर पोशाक	61, 62, 63
15	कयर उत्पाद (जिनके अंतर्गत चटाइयां, गद्दे भी हैं)	5705, 9404
16	चमड़े का जूता	6403, 6405
17	उत्कीर्णित प्रस्तर उत्पाद (जिनके अंतर्गत प्रतिमा, लघु प्रतिमा, जन्तुओं की आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती दान भी हैं)	6802
18	प्रस्तर जड़ाऊ कार्य	68
19	मिट्टी के बर्तन तथा मृत्तिका उत्पाद, जिसके अन्तर्गत टैराकोटा भी है	6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914

20	धातु टेबल तथा रसोई बर्तन (ताम्र, पीतल के बर्तन)	7418
21	अध्याय 73 और 74 की धातुओं के सज्जीकरण के लिए प्रयुक्त किस्म की धातु की मूर्तियां, प्रतिमा/मूर्तिदान, कलश और क्रॉस	8306
22	धातु बिदरीवेयर	8306
23	संगीत वाद्य यंत्र	92
24	सींग और अस्थि उत्पाद	96
25	शंख सीपी शिल्प वस्तुएं	96
26	बांस फर्नीचर, केन/बेंत के फर्नीचर	94
27	गुड़िया और खिलौने	9503
28	लोक चित्रकारी मधुबनी, पतचित्रा, राजस्थानी लघु चित्र आदि	97

परंतु ऐसे व्यक्ति अधिसूचना सं. 3/2018-एकीकृत कर, तारीख 22 अक्टूबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1052(अ) तारीख 22 अक्टूबर, 2018 द्वारा में प्रकाशित की गई थी, का लाभ उठा रहे हैं।

परंतु यह और कि अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले ऐसे प्रदायों का संकलित मूल्य उस संकलित आवर्त की रकम से अधिक नहीं होगा जिसके ऊपर कोई प्रदायकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 22 के स्पष्टिकरण के खंड (iii) के साथ पठित उस धारा की उपधारा (1) के अनुसार राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।

2. पूर्ववर्ती पैरा में वर्णित ऐसे व्यक्ति स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करेंगे और केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपबंधों के अनुसार ई-वे बिल सृजित करेंगे।

3. यह अधिसूचना 23 अक्टूबर, 2018 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

[सं.सं. वा.कर/जी.एस.टी./03/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

के. के. खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव
